

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सरसों के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

सरसों के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 1200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Cluster demonstration on Rapeseed and Mustard (Assistance Rs. 1200/- acre) for Rabi 2023-24							
Sr. No.	District	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)	Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)	Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)
1	Ambala	150	1.80	120	1.44	30	0.36
2	Bhiwani	400	4.80	320	3.84	80	0.96
3	C. Dadri	350	4.20	280	3.36	70	0.84
4	Faridabad	100	1.20	80	0.96	20	0.24
5	Fathabad	200	2.40	160	1.92	40	0.48
6	Gurugram	200	2.40	160	1.92	40	0.48
7	Hisar	200	2.40	160	1.92	40	0.48
8	Jhajjar	200	2.40	160	1.92	40	0.48
9	Jind	200	2.40	160	1.92	40	0.48
10	Karnal	200	2.40	160	1.92	40	0.48
11	Kurukshetra	200	2.40	160	1.92	40	0.48
12	Kaithal	200	2.40	160	1.92	40	0.48
13	M.Garh	300	3.60	240	2.88	60	0.72
14	Mewat	250	3.00	200	2.40	50	0.60
15	Panchkula	100	1.20	80	0.96	20	0.24
16	Panipat	200	2.40	160	1.92	40	0.48
17	Palwal	200	2.40	160	1.92	40	0.48
18	Sonipat	250	3.00	200	2.40	50	0.60
19	Rohtak	300	3.60	240	2.88	60	0.72
20	Rewari	250	3.00	200	2.40	50	0.60
21	Sirsa	250	3.00	200	2.40	50	0.60
22	Y. Nagar	300	3.60	240	2.88	60	0.72
	Total	5000	60.00	4000	48.00	1000	12.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पर

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर ₹0 1600/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Cluster Demonstration Sunflower (Assistance Rs. 1600/- acre.) for Rabi 2023-24							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)	Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)	Phy. (in acre)	Fin.(Rs. In Lakh)
1	Ambala	650	10.40	520	8.32	130.00	2.08
2	Kurukshetra	750	12.00	600	9.60	150.00	2.40
3	Karnal	250	4.00	200	3.20	50.00	0.80
4	Kaithal	200	3.20	160	2.56	40.00	0.64
5	Panipat	200	3.20	160	2.56	40.00	0.64
6	Panchkula	200	3.20	160	2.56	40.00	0.64
7	Sonipat	200	3.20	160	2.56	40.00	0.64
8	Y. Nagar	550	8.80	440	7.04	110.00	1.76
	Total	3000	48.00	2400	38.40	600	9.60

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलो (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 2000/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds- Cluster Demonstration Rapeseed & Mustard with Bee keeping (Assistance Rs. 2000/- acre) for Rabi 2023-24							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	80	1.60	64	1.28	16	0.32
2	Kurukshetera	80	1.60	64	1.28	16	0.32
3	Karnal	80	1.60	64	1.28	16	0.32
4	Y. Nagar	80	1.60	64	1.28	16	0.32
5	Kaithal	40	0.80	32	0.64	8	0.16
6	Panipat	40	0.80	32	0.64	8	0.16
7	Panchkula	50	1.00	40	0.80	10	0.20
8	Sonipat	50	1.00	40	0.80	10	0.20
	Total	500	10.00	400	8.00	100	2.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सरसों के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
2. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलो (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-03-2024 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 2400/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds-Cluster demonstration Sunflower with Bee keeping (Assistance Rs. 2400/- acre) for Rabi 2023-24							
Sr. No	District	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	80	1.92	64	1.54	16	0.38
2	Kurukshetra	80	1.92	64	1.54	16	0.38
3	Karnal	60	1.44	48	1.15	12	0.29
4	Y. Nagar	80	1.92	64	1.54	16	0.38
5	Kaithal	50	1.20	40	0.96	10	0.24
6	Panipat	50	1.20	40	0.96	10	0.24
7	Panchkula	50	1.20	40	0.96	10	0.24
8	Sonipat	50	1.20	40	0.96	10	0.24
	Total	500	12.00	400	9.60	100	2.40

विशेष दिशा निर्देश:-

1. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
2. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 30-11-2023 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर रू0 4000/- क्विंटल सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Seed distribution of HYVs Mustard (Assistance Rs. 4000/- qtl.) for Rabi2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	200	8.00	160	6.40	40	1.60
2	Bhiwani	350	14.00	280	11.20	70	2.80
3	C. Dadri	300	12.00	240	9.60	60	2.40
4	Faridabad	150	6.00	120	4.80	30	1.20
5	Fatehabad	250	10.00	200	8.00	50	2.00
6	Gurugram	250	10.00	200	8.00	50	2.00
7	Hisar	250	10.00	200	8.00	50	2.00
8	Jhajjar	250	10.00	200	8.00	50	2.00
9	Jind	250	10.00	200	8.00	50	2.00
10	Karnal	200	8.00	160	6.40	40	1.60
11	Kurukshetra	200	8.00	160	6.40	40	1.60
12	Kaithal	200	8.00	160	6.40	40	1.60
13	M.Garh	250	10.00	200	8.00	50	2.00
14	Mewat	250	10.00	200	8.00	50	2.00
15	Panchkula	200	8.00	160	6.40	40	1.60
16	Panipat	200	8.00	160	6.40	40	1.60
17	Palwal	200	8.00	160	6.40	40	1.60
18	Sonipat	200	8.00	160	6.40	40	1.60
19	Rohtak	250	10.00	200	8.00	50	2.00
20	Rewari	250	10.00	200	8.00	50	2.00
21	Sirsa	250	10.00	200	8.00	50	2.00
22	Y. Nagar	200	8.00	160	6.40	40	1.60
	Total	5100	204.00	4080	163.20	1020	40.8

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में राईजोबियम/फॉसफोरस घोलक जीवाणू कल्चर के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

राईजोबियम व फॉसफोरस घोलक जीवाणू के वितरण पर अनुदान रू0 120/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds -Supply of rhyzobium culture/PSB (Assistant Rs. 120/ acre.) Rabi 2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)
1	Ambala	120	0.14	96	0.115	24	0.03
2	Bhiwani	300	0.36	240	0.288	60	0.07
3	C. Dadri	200	0.24	160	0.192	40	0.05
4	Faridabad	150	0.18	120	0.144	30	0.04
5	Fathabad	200	0.24	160	0.192	40	0.05
6	Gurugram	130	0.16	104	0.125	26	0.03
7	Hisar	250	0.30	200	0.240	50	0.06
8	Jhajjar	170	0.20	136	0.163	34	0.04
9	Jind	200	0.24	160	0.192	40	0.05
10	Karnal	170	0.20	136	0.163	34	0.04
11	Kurukshetra	170	0.20	136	0.163	34	0.04
12	Kaithal	170	0.20	136	0.163	34	0.04
13	M.Garh	270	0.32	216	0.259	54	0.06
14	Mewat	170	0.20	136	0.163	34	0.04
15	Panchkula	120	0.14	96	0.115	24	0.03
16	Panipat	130	0.16	104	0.125	26	0.03
17	Palwal	170	0.20	136	0.163	34	0.04
18	Sonipat	130	0.16	104	0.125	26	0.03
19	Rohtak	170	0.20	136	0.163	34	0.04
20	Rewari	270	0.32	216	0.259	54	0.06
21	Sirsa	170	0.20	136	0.163	34	0.04
22	Y. Nagar	170	0.20	136	0.163	34	0.04
	Total	4000	4.80	3200	3.840	800	0.96

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण रसायन सहित खरपतवारनाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन सहित खरपतवारनाशी के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of PP Chemicals including Weedicides (Assistant Rs.200/acre) Rabi 2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)
1	Ambala	150	0.30	120	0.24	30	0.06
2	Bhiwani	400	0.80	320	0.64	80	0.16
3	C. Dadri	200	0.40	160	0.32	40	0.08
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fathabad	300	0.60	240	0.48	60	0.12
6	Gurugram	200	0.40	160	0.32	40	0.08
7	Hisar	300	0.60	240	0.48	60	0.12
8	Jhajjar	200	0.40	160	0.32	40	0.08
9	Jind	300	0.60	240	0.48	60	0.12
10	Karnal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
11	Kurukshetra	200	0.40	160	0.32	40	0.08
12	Kaithal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
13	M.Garh	450	0.90	360	0.72	90	0.18
14	Mewat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
15	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
16	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Palwal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
18	Sonipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
19	Rohtak	300	0.60	240	0.48	60	0.12
20	Rewari	300	0.60	240	0.48	60	0.12
21	Sirsa	200	0.40	160	0.32	40	0.08
22	Y. Nagar	200	0.40	160	0.32	40	0.08
	Total	5000	10.00	4000	8.00	1000	2.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Nucler polyhedrosis Virus (NPV) (Assistant Rs.200/acre) Rabi 2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakh)
1	Ambala	80	0.16	64	0.13	16	0.03
2	Bhiwani	100	0.20	80	0.16	20	0.04
3	C. Dadri	80	0.16	64	0.13	16	0.03
4	Faridabad	80	0.16	64	0.13	16	0.03
5	Fathabad	80	0.16	64	0.13	16	0.03
6	Gurugram	80	0.16	64	0.13	16	0.03
7	Hisar	100	0.20	80	0.16	20	0.04
8	Jhajjar	80	0.16	64	0.13	16	0.03
9	Jind	80	0.16	64	0.13	16	0.03
10	Karnal	80	0.16	64	0.13	16	0.03
11	Kurukshetra	80	0.16	64	0.13	16	0.03
12	Kaithal	80	0.16	64	0.13	16	0.03
13	M.Garh	100	0.20	80	0.16	20	0.04
14	Mewat	80	0.16	64	0.13	16	0.03
15	Panchkula	80	0.16	64	0.13	16	0.03
16	Panipat	80	0.16	64	0.13	16	0.03
17	Palwal	80	0.16	64	0.13	16	0.03
18	Sonipat	80	0.16	64	0.13	16	0.03
19	Rohtak	80	0.16	64	0.13	16	0.03
20	Rewari	50	0.10	40	0.08	10	0.02
21	Sirsa	60	0.12	48	0.10	12	0.02
22	Y. Nagar	60	0.12	48	0.10	12	0.02
	Total	1750	3.50	1400	2.80	350	0.70

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण संसाधन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 600/-रूपये प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for NMEO- Oilseeds Supply of Plant Protection Equipments 2023-24 (Manual Sprayer) Target in no. (Assistance Rs. 600/-)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakh)
1	Ambala	15	0.09	12	0.07	3	0.02
2	Bhiwani	35	0.21	28	0.17	7	0.04
3	C. Dadri	30	0.18	24	0.14	6	0.04
4	Faridabad	25	0.15	20	0.12	5	0.03
5	Fathabad	20	0.12	16	0.10	4	0.02
6	Gurugram	20	0.12	16	0.10	4	0.02
7	Hisar	20	0.12	16	0.10	4	0.02
8	Jhajjar	20	0.12	16	0.10	4	0.02
9	Jind	20	0.12	16	0.10	4	0.02
10	Karnal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
11	Kurukshetra	15	0.09	12	0.07	3	0.02
12	Kaithal	20	0.12	16	0.10	4	0.02
13	M.Garh	25	0.15	20	0.12	5	0.03
14	Mewat	20	0.12	16	0.10	4	0.02
15	Panchkula	15	0.09	12	0.07	3	0.02
16	Panipat	20	0.12	16	0.10	4	0.02
17	Palwal	20	0.12	16	0.10	4	0.02
18	Sonipat	20	0.12	16	0.10	4	0.02
19	Rohtak	15	0.09	12	0.07	3	0.02
20	Rewari	25	0.15	20	0.12	5	0.03
21	Sirsa	20	0.12	16	0.10	4	0.02
22	Y. Nagar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
	Total	450	2.70	360	2.16	90	0.54

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 8000/- रुपये, प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of Plant Protection equipments 2023-24 (Power Operated) Target in No. (Assistance Rs 8000/-)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In Lakh)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In Lakh)
1	Ambala	10	0.8	8	0.64	2	0.16
2	Bhiwani	20	1.6	16	1.28	4	0.32
3	C. Dadri	15	1.2	12	0.96	3	0.24
4	Faridabad	15	1.2	12	0.96	3	0.24
5	Fathabad	15	1.2	12	0.96	3	0.24
6	Gurugram	15	1.2	12	0.96	3	0.24
7	Hisar	10	0.8	8	0.64	2	0.16
8	Jhajjar	15	1.2	12	0.96	3	0.24
9	Jind	15	1.2	12	0.96	3	0.24
10	Karnal	10	0.8	8	0.64	2	0.16
11	Kurukshetra	10	0.8	8	0.64	2	0.16
12	Kaithal	15	1.2	12	0.96	3	0.24
13	M.Garh	20	1.6	16	1.28	4	0.32
14	Mewat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
15	Panchkula	10	0.8	8	0.64	2	0.16
16	Panipat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
17	Palwal	15	1.2	12	0.96	3	0.24
18	Sonipat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
19	Rohtak	15	1.2	12	0.96	3	0.24
20	Rewari	15	1.2	12	0.96	3	0.24
21	Sirsa	10	0.8	8	0.64	2	0.16
22	Y. Nagar	10	0.8	8	0.64	2	0.16
	Total	305	24.40	244	19.52	61	4.88

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा